



# राष्ट्रीय सेवा योजना सिद्धार्थ विश्वविद्यालय कपिलवस्तु,

सिद्धार्थनगर- 272202 उ०प्र० (भारत)

Website :www.suksn.edu.in, Email Id: nsssuk2018@gmail.com

पत्रांक: 531 / रा०से०यो० / सि०वि०वि० / 2023

दिनांक 15.03.2023

सेवा में,

समस्त प्राचार्य/प्राचार्या/कार्यक्रम अधिकारी  
सहायता प्राप्त अशासकीय, राजकीय, स्ववित्तपोषित महाविद्यालय  
जनपद-सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, संतकबीर नगर, बस्ती, बलरामपुर।

विषय:-राष्ट्रीय सेवा योजना-नियमित तथा विशेष शिविर कार्यक्रमों के अन्तर्गत अवमुक्त अनुदान के मानक (ब्रेक-अप) का निर्धारण के सम्बन्ध में।

महोदय/महोदया,

उपर्युक्त विषयक डा० सुधीर एम० बोबडे, प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ के पत्रांक संख्या-28 / सत्तर-रा०से०यो०को०-2023 दिनांक 06 मार्च, 2023 के संलग्न पत्र का अवलोकन करते हुए उपरोक्तानुसार कार्यवाही करने का कष्ट करें।

साभार!

संलग्नक:-यथोपरि।

भवदीय

डॉ०(पूर्णेश नारायण सिंह)  
कार्यक्रम समन्वयक  
राष्ट्रीय सेवा योजना

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1-निजी सचिव कुलपति, को मा० कुलपति महोदय के अवलोकनार्थ।
- 2-वित्त अधिकारी/कुलसचिव, सिद्धार्थ विश्वविद्यालय, कपिलवस्तु, सिद्धार्थनगर।
- 3-राज्य सम्पर्क अधिकारी, राष्ट्रीय सेवा योजना, उत्तर प्रदेश।
- 4-क्षेत्रीय निदेशक, राष्ट्रीय सेवा योजना, उत्तर प्रदेश-उत्तराखण्ड, लखनऊ।
- 5-डॉ० अविनाश प्रताप सिंह, मीडिया/जनसम्पर्क अधिकारी, सिद्धार्थ विश्वविद्यालय, कपिलवस्तु, सिद्धार्थनगर।
- 6-प्रभारी, कोडिंग सेल, को इस आशय से प्रेषित कि कृपया इसे विश्वविद्यालय की वेबसाइट तथा सम्बन्धित महाविद्यालयों के लॉगिन आई०डी० पर अपलोड कराने की समुचित व्यवस्था करें।
- 7-गार्ड फाइल में संरक्षित हेतु।

कार्यक्रम समन्वयक

प्रेषक,

डा0 सुधीर एम0 बोबडे,  
प्रमुख सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. कुलपति,  
राष्ट्रीय सेवा योजना से संबंधित समस्त विश्वविद्यालय, उ0प्र0।
2. निदेशक,  
माध्यमिक शिक्षा उत्तर प्रदेश, शिविर कार्यालय,  
लखनऊ।
3. निदेशक,  
प्राविधिक पालिटेक्निक परिसर, कानपुर।
4. निदेशक,  
दयालबाग शिक्षण संस्थान,  
दयालबाग, आगरा।

**उच्च शिक्षा (राष्ट्रीय सेवा योजना कोषक) विभाग**

लखनऊ: दिनांक 06 मार्च, 2023

विषय:- राष्ट्रीय सेवा योजना-नियमित तथा विशेष शिविर कार्यक्रमों के अन्तर्गत अवमुक्त अनुदान के मानक (ब्रेक-अप) का निर्धारण।

महोदय,


भारत सरकार, युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय के पत्रांक-डी0ओ0नं0जी0-20011/2/2022-एन0एस0एस0 दिनांक-11.05.2022 द्वारा राष्ट्रीय सेवा योजना के नियमित तथा विशेष शिविर कार्यक्रम की पुनरीक्षित दरें क्रमशः रू0 400/- तथा रू0 700/-प्रति छात्र निर्धारित की गई हैं। दरों में परिवर्तन के फलस्वरूप शासनादेश संख्या-1015/सत्तर-रा0से0यो0को0-2011-41/91 दिनांक- 02 जनवरी, 2012 को निरस्त करते हुए अवमुक्त अनुदान का मानक (ब्रेक-अप) निम्नानुसार पुनरीक्षित किये जाने का निर्णय लिया गया है:-

उत्तर प्रदेश शासन

राष्ट्रीय सेवा योजना उच्च शिक्षा विभाग

नियमित गतिविधि छात्र संख्या-3,21,000 वर्ष 2022-23 से वित्तीय ब्यौरा व्यय की दर से 400/- प्रति छात्र वार्षिक

शीर्ष	प्रति छात्र धनराशि	टिप्पणियाँ
1.	2.	3.
1. विश्वविद्यालय स्तरीय स्थापना प्रशासन एवं संगठन पर व्यय	40.00/-	(क) विश्वविद्यालय/मण्डलीय उपशिक्षा निदेशक (माध्यमिक)/ क्षेत्रीय संयुक्त निदेशक (प्राविधिक शिक्षा) स्तर पर प्रशासनिक व्यवस्था हेतु रोकी गयी धनराशि रू0 40/- प्रति छात्र प्रतिवर्ष वहाँ पर कार्यरत अंशकालिक कार्यक्रम समन्वयक तथा नोडल अधिकारी का आउट आफ पाकेट एलाउन्स, अंशकालिक कर्मचारियों के वेतन/मानदेय, स्टेशनरी, डाक टिकट, यात्रा व्यय, तथा आडिट फीस आदि पर व्यय किया जाय। इस मद में अवशेष धनराशि का सदुपयोग विश्वविद्यालय/माध्यमिक शिक्षा मण्डल स्तर पर राष्ट्रीय एकीकरण शिविर, कौशल विकास कार्यक्रम, वार्षिक प्रगति आख्या तथा यथा समय उच्च स्तर से निर्देशित किये गये कार्यक्रमों पर यह धनराशि मितव्ययता पूर्वक व्यय की जाय। विश्वविद्यालय के पास तृतीय/चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी उपलब्ध न होने पर रा0से0यो0 प्रकोष्ठ में विश्वविद्यालय द्वारा आउटसोर्स से कुशल कर्मचारी

  
06/3

		प्रदाय किया जाना सुनिश्चित किया जाय। यह इसलिए आवश्यक है कि 80से0य00 प्रकोष्ठ पर स्थापना मद में निर्धारित सीमा से ज्यादा व्यय भार नहीं आए।
कार्यक्रम समन्वयकों का आउट आफ पाकेट एलाउन्स		(ख) (i) छात्र संख्या-100 से अधिक किन्तु 3000 तक:- रू0 625/- अधिकतम प्रतिमाह
		(ii) छात्र संख्या-3000 से अधिक किन्तु 10000 तक:- रू0 750/- अधिकतम प्रतिमाह
		(iii) छात्र संख्या-10000 से अधिक:-रू0 1000/- अधिकतम प्रतिमाह
जिला नोडल अधिकारी का आउट आफ पाकेट एलाउन्स		प्रत्येक राष्ट्रीय सेवा योजना जिला नोडल अधिकारी को रू0 700/- प्रतिमाह माह की दर से विश्वविद्यालय द्वारा दिया जायेगा। राष्ट्रीय सेवा योजना का अपेक्षित कार्य सम्पन्न करने के लिए यात्रा व्यय के रूप में 5000 वार्षिक सीमा के रूप में व्यय किया जायेगा जो विश्वविद्यालय द्वारा दिया जायेगा।
लेखा लिपिक/लिपिक कम टकक		(ग) (i) छात्र संख्या-1000 छात्र तक:- 300 रुपये अधिकतम प्रतिमाह
		(ii) छात्र संख्या-1000 से अधिक किन्तु 3000 तक:- 375 रुपये अधिकतम प्रतिमाह
		(iii) छात्र संख्या-3000 से अधिक किन्तु 10000 तक:- 625 रुपये अधिकतम प्रतिमाह
		(iv) छात्र संख्या-10000 से अधिक:- 875 रुपये अधिकतम प्रतिमाह
चपरासी		(घ) (i) छात्र संख्या-1000 छात्र तक:- 125 रुपये अधिकतम प्रतिमाह
		(ii) छात्र संख्या-1000 से अधिक किन्तु 3000 तक:- 185 रुपये अधिकतम प्रतिमाह
		(iii) छात्र संख्या-3000 से अधिक किन्तु 10000 तक:- 250 रुपये अधिकतम प्रतिमाह
		(iv) छात्र संख्या-10000 से अधिक:- 375 रुपये अधिकतम प्रतिमाह
		(ड) राष्ट्रीय सेवा योजना के नियमित तथा विशेष शिविर कार्यक्रमों के निरीक्षण हेतु व्यय। (i) 5000 छात्र संख्या तक:- 7000 रुपये प्रतिवर्ष (ii) 5000 से 15000 की छात्र संख्या तक:- 21000 रुपये प्रतिवर्ष (iii) 15000 से अधिक छात्र संख्या:- अधिकतम 35000 रुपये प्रतिवर्ष व्यय किये जाय।
कुल राशि	40.00/-	
2- मुद्रण, डायरी एवं बैच एवं अन्य	15.00/-	(क) उक्त मद में विश्वविद्यालय स्तर पर रू0 15/- प्रति छात्र प्रदान किया जायेगा। राष्ट्रीय सेवा योजना इकाईयों हेतु डायरी व बैच विश्वविद्यालय/माध्यमिक मण्डलों द्वारा क्रय करके विश्वविद्यालय परिसरों/महाविद्यालयों/माध्यमिक विद्यालयों/पालीटेक्निक संस्थाओं को आवंटित छात्र संख्या के अनुसार उपलब्ध करा दी जाय। स्वयंसेवियों को प्रमाण-पत्र 120 घंटे प्रतिवर्ष तथा 02 वर्ष में 240 घंटे पूर्ण होने तथा एक सात (07) दिवसीय शिविर पूर्ण होने पर ऑनलाइन जारी किया जायेगा।
कुल राशि	15.00/-	
3- राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई स्तर	60/-	(क) अंशकालिक कार्यक्रम अधिकारी को आउट आफ पाकेट एलाउन्स- 500 रुपये अधिकतम प्रतिमाह
	22/-	(ख) अंशकालिक लिपिक को मानदेय:- 185 रुपये अधिकतम प्रतिमाह

*[Handwritten Signature]*  
0.5.13